राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

एफ. 7(8) परीक्षा 'ख'/SI-PC /2020–2021/289 दिनांक : 14.06.2023

उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 के पदों के साक्षात्कार दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 30.05.2023 तक आयोजित किये गये। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता जॉच में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गयें है, जिन्हें तत्समय व्यक्तिशः पत्र (Provisional Letter) प्रदान कर पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में वांछित दस्तावेज आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए सूचित किया गया था कि वांछित दस्तावेज निर्धारित समयावधि में आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आयोग द्वारा इनकी पात्रता निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

अतः उक्तानुसार ऐसे प्रोविजनल अभ्यर्थी जिनके द्वारा आज दिनांक तक वांछित दस्तावेज आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु एक ओर अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20.06.2023 तक वांछित दस्तावेज मय स्व–सत्यापित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से आयोग को प्रस्तुत करें अन्यथा वांछित दस्तावेज के अभाव में उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उक्त प्रोविजनल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, नाम एवं वांछित दस्तावेजों की सूची (List) आयोग कार्यालय की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है।

(एम.पी. रामावत)
उप सचिव